//.

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

Email: rcd.bih@gmail.com

पत्रांकः—प्र0—31 / आ0 प्र0 / 17—02 / 2017 दिनांकः—

प्रेषक,

हनुमान प्रसाद चौधरी,
अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) ,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता, (रा0उ0प0 सहित)
पथ निर्माण विभाग।
2. मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार, पटना।
3. प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना।
4. क्षेत्रीय पदाधिकारी,
,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
शिवमित्रा आपर्टमेंट, प्रथम तल, विवेकानन्द मार्ग,
बोरिंग रोड, पटना—800013
5. क्षेत्रीय पदाधिकारी,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार,
ग्राम—चकमुसा, एन०एच०—98, नकाटी भवानी मंदिर के निकट,
पो०—मोहम्मदपुर, कुर्जी भाया खगौल, पटना—801105, बिहार।
6. सभी अधीक्षण अभियंता (रा0उ0प0 सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
7. सभी कार्यपालक अभियंता (रा0उ0प0 सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः— बिहार राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (Disaster Risk Reduction Road Map) 2015—2030 से संबंधित दिशा—निर्देशों को लागू करने के संबंध में।

प्रसंगः— आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक—01 / प्रा0 आ0—09 / 2016 (खण्ड—II) 623 / आ0प्र0, पटना—23 दिनांक—18.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक संबंध में कहना है कि माननीया उपमुख्य (आपदा प्रबंधन) मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिनांक—21.02.2022 को आहूत बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015—2030 से संबंधित कार्यो की समीक्षा की गई, जिसमें पथ निर्माण विभाग को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये गये हैः—

(A) <u>Resilient Village:-</u>

(i) बाढ़ को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा ऑडिट करना और सुनिश्चित करना कि बाढ़ प्रवण जिलों में बनने वाली सभी सड़कें बाढ़रोधी हो।

(ii) सभी प्रमुख पुलों की सुरक्षा ऑडिट बाढ़, भूकम्प एवं सड़क दुर्घटना के दृष्टिकोण से करना और सुनिश्चित करना कि सभी पुल भूंकपरोधी हों।

(iii) सड़क हादसों को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करना कि आबादी के बीच से गुजरनेवाले सभी NH, SH एवं MDR में सुरक्षा चिन्हों/सुरक्षा मानकों का प्रावधान हो ताकि पैदल चलनेवालों और कम गति से चलनेवाले वाहनों के अनुकूल हों।

(iv) सुरक्षित यात्रा के लिए यह सुनिश्चित करना कि उचित मानकवाले साइनबोर्ड सड़क किनारे लगें हों।

(v) राज्य में सभी मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग की पहचान करना।

(vi) जहां मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग हो, उन ग्राम पंचायतों में ऐसा मेकेनिज्म तैयार करना ताकि साईनेज, रोशनी की व्यवस्था एवं साईन बोर्ड इत्यादि का प्रावधान हो।

(vii) इन क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे जोन अथवा रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संयुक्त कार्ययोजना तैयार करना।

(B) <u>Resilient Critical Infrastructure:-</u>

(i) महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना के बतौर सड़क और पुल के लिए तन्यकता सूची (Resilient Index) तैयार करना और गुणवत्ता मानक (Quality Standard) विकसित करना।

(ii) वर्त्तमान सड़क, छोटे और बड़े पुल को मैप करना एवं साथ ही इनके जी0आई0एस0 मैपिंग करना और इनकी तन्यकता (Resilience) को निर्धारित करना।

(iii) जी0आई0एस0 मैपिंग के आधार पर Group A एवं B जिले में सुधारात्मक एवं मजबूतीकरण का कार्य विशेष प्रकार के Design एवं Materials के द्वारा किया जाना।

Group A एवं B जिले का विवरण Hazard Profile के अनुसार निम्नलिखित है:–

Group	Profile	Constituent Districts
Group A Districts (10)	Mainly Flood Prone and Earthquake Zone V	Araria, Darbhanga, East Champaran, Kishanhanj, Madhepura, Madhubani, Saharsa, Sheohar, Sitamarhi and Supaul
Group B Districts (18)	Mainly Flood Prone and Earthquake Zone IV	Banka, Begusarai, Bhagalpur, Bhojpur, Gopalgnaj, Katihar, Khagariya, Lakhisarai, Muzaffarpur, Nalanda, Patna, Purnia, Saran, Samastipur, Sheikhpura, Siwan, Vaishali and West Champaran

(iv) सड़कों एवं पुलों के बाढ़ एवं भूकंप से क्षति के आकलन हेतु वार्षिक आपदा जोखिम विश्लेषण का कार्य सुनिश्चित करना।

(v) किसी भी प्रस्तावित सड़क या पुल निर्माण अनुमति देने से पहले इसकी डिजाईन में आपदा जोखिम (बाढ़, भूकंप एवं सड़क दुर्घटना) विश्लेषण को अनिवार्य तौर पर शामिल करना।

(vi) रोड एंबुलेंस (Road Ambulances) या त्वरित रिस्पांस टीम (Quick Response Team) की व्यवस्था करना।

(vii) आपदा के समय क्षतिग्रस्त पथों एवं पुलों के पुर्नस्थापन या अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था में सहयोग हेतु सैन्य बलों के इंजीनियरिंग विभाग से समन्वय स्थापित करना।

(viii) राज्य के अंदर सड़कों का मैप करना एवं मैप में वैकल्पिक रास्तों को चिन्हित करना ताकि आपदा के L1 एवं L2 श्रेणी के समय आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचा जा सके।

(ix) राज्य से बाहर निकलनेवाले महत्वपूर्ण रास्तों को मैप करना और ऐसे उपाय करना जिससे आपदा के L3 श्रेणी घटना होने के बाद भी यह कार्यरत रहे।

आपदा (Disaster) के L1, L2 एवं L3 श्रेणी को निम्न प्रकार परिभाषित किये गये हैं–

L1 श्रेणी:– L1 specifies disasters that can be managed at the district level, however, the state and centre will remain in readiness to provide assistance if needed.

L2 श्रेणी:– L2 specifies disasters situations that may require assistance and active participation of the state, and the mobilization of resources at the state level.

L3 श्रेणी:– L3 disasters situations arise from large-scale disasters where districts and the state may not have the capacity to respond adequately and require assistance from the central government for reinstating the state and district machinery.

(x) सड़कों एवं पुलों से संबंधित जोखिम तन्यकता डिजाइनिंग (Risk Resilience Designing) एवं इसके कार्यान्वयन (Implementation) हेतु विभाग के इंजीनियरों की क्षमता का विकास करना।

उक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में Disaster Risk Reduction Road Map 2015–2030 की कार्यवाई सुनिश्चित किया जाय एवं साथ ही संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी **(Email-rcd.bih@gmail.com)** में विभाग के अनुश्रवण कोषांग एवं सड़क सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराई जाय ताकि समेकित प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार को उपलब्ध कराया जा सके।

इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– प्र0–31/आ0 प्र0/17–02/2017 1380(ε) दिनांक:– 9/3/22

प्रतिलिपि:–
(1) सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
(4) माननीय मंत्री के आप्त सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचानार्थ प्रेषित।
(5) आई०टी० प्रबंधक, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। (अनु0–यथोक्त)

7.3.22
अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
7/3/22

Implementation of Disaster Risk Reduction Roadmap in Bihar 2015-2030
Report Card (Period: from April 2016 to September 2021)

Name of the Department: Road Construction Department

Name of the Reporting Officer:

Sl No	Planned Specific Actions	Progress made	Budget allocated	Expenditure Incurred	Remarks (Any other initiatives/ others)	Support required from DMD*
Resilient Village						
1	• Conduct road safety audit in terms of floods and ensure that all village and major district roads constructed henceforth are flood resistant in flood prone districts. • Conduct safety audit of all bridges and ensure that all bridges are earthquake resistant. • Ensure that all MDRs and NHs passing through habitations are pedestrian- and slow-moving vehicle-friendly to prevent accidents. Ensure proper and standard signage are put on road side for safe travel.					
2	Undertake following measures to ensure safety at unmanned railway crossings: • Identify all the unmanned railway crossings in the State. • Establish mechanisms with all the Gram Panchayats, wherein there is an unmanned railway crossing, for provisioning of signage, lighting arrangement, display board and such other actions. Evolve a joint-plan of action with Railways Zone / Region Office to ensure safety at these crossings.					
Resilient Critical Infrastructure:						
1	Develop a resilience index and / or quality standards pertaining to roads and bridges as critical infrastructure.					
2	Map the existing roads and small and large bridges, including their GIS mapping and determine their resilience.					

3	On the basis of this exercise, undertake corrective actions, including strengthening or rerouting in selected areas, reinforcing through specialized materials or design changes, and such especially for Group A and B districts.					
4	Ensure that an annual disaster risk analysis exercise is conducted as part of the annual planning cycle for targeting, resource allocation and additional measures for specific vulnerabilities.					
5	Make it mandatory to include disaster risk analysis as part of the designing of a proposed road and bridge construction activity before approval for construction is given.					
6	Arrange "Road Ambulances" or 'Quick Response Teams' with availability of adequate resources, equipments and skills to be deployed for debris clearance and immediate restoration of and / or creation of temporary alternatives to damaged roads and bridges in case of disaster events.					
7	Develop coordination plans with the engineering division of the armed forces for support in restoration, and / or temporary alternative arrangements for the damaged roads and / or bridges in case of disaster events.					
8	Map existing road network within State along with alternate routes' reckoner for ensuring access to disaster affected areas for L1 & L2 category of disaster events, disseminate it widely and develop a mobile-based and/or Web-based Application for people to have access to this information.					
9	Map the critical gateway Road routes to the State, and take steps to ensure their functioning in case of an L3 event.					
10	Capacity Building of departmental Engineering staff in risk resilience designing and implementation of roads and bridges					

*Support in terms of Technical/Capacity Building/Finance/Human Resource to further accomplish the tasks

Date of submission:

Signature of the reporting Officer: